कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
प्रेस नोट

राजसमन्द में आरोपी श्री दिव्यम जाजोरिया हाल पशु चिकित्साधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय रिछेड, अतिरिक्त चार्ज राजकीय प्रथम श्रेणी पशुचिकित्सालय कुम्भलगढ जिला राजसमन्द व दलाल श्री तरूण गमेती राशि 12600 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 14.01.2025 को ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी राजसमन्द द्वारा आज कार्यवाही करते हुये श्री दिव्यम जाजोरिया हाल पशु चिकित्साधिकारी राजकीय पशु चिकित्सालय रिछेड अतिरिक्त चार्ज राजकीय प्रथम श्रेणी पशुचिकित्सालय कुम्भलगढ जिला राजसमन्द को परिवादी की स्वयं की एवं गांव के अन्य पशुपालकों के पशुओं/मवेशियों के कानों पर टैग लगवाने व पशुओं / मवेशियों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में राशि 600 रूपये प्रति पशु/मवेशी के हिसाब से रिश्वत राशि 12,600 रूपये लेते हुए आरोपीगण श्री दिव्यम जाजोरिया हाल पशुचिकित्साधिकारी राजकीय पशु चिकित्सालय रिछेड अतिरिक्त चार्ज राजकीय प्रथम श्रेणी पशुचिकित्सालय कुम्भलगढ जिला राजसमन्द व दलाल श्री तरूण गमेती पुत्र श्री पिथाराम निवासी गंगलाया पुलिस थाना केलवाडा जिला राजसमन्द को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी राजसमन्द को एक शिकायत इस आशय की मिली कि श्री दिव्यम जाजोरिया हाल पशुचिकित्साधिकारी राजकीय पशु चिकित्सालय रिछेड अतिरिक्त चार्ज राजकीय प्रथम श्रेणी पशुचिकित्सालय कुम्भलगढ जिला राजसमन्द द्वारा परिवादी की स्वयं की एवं गांव के अन्य पशुपालकों के पशुओं / मवेशियों के कानों पर टैग लगवाने व पशुओं/मवेशियों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में 800 रूपये प्रति पशु/मवेशी के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा हैं

जिस पर एसीबी के श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर रेंज उदयपुर के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी राजसमन्द के श्री हिम्मत चारण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में आज मय टीम के अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपीगण श्री दिव्यम जाजोरिया हाल पशुचिकित्साधिकारी राजकीय पशु चिकित्सालय रिछेड अतिरिक्त चार्ज राजकीय प्रथम श्रेणी पशुचिकित्सालय कुम्भलगढ जिला राजसमन्द व दलाल श्री तरूण गमेती पुत्र श्री पिथाराम निवासी गंगलाया पुलिस थाना केलवाडा जिला राजसमन्द को रिश्वत राशि 12600 रूपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के सुपरवीजन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।